

प्रति निर्णय दिनांक 2-7-2020

अपील सं. 20/2020, रमेश कुमार बनाम राज राज्य सरकार
न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालौर

२

2-7-2020

अपीलांत वकील के निवेदन पर
पत्रावली आज पेश हुई / अपीलांत
के वकील उपस्थित /

अपीलांत ने एक प्रार्थना पत्र
प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वह
उक्त अपील को आगे चलाना नहीं
चाहता है। अतः अपील जबिये विड्रोवल
स्वारिज करावे / अपीलांत की पहचान
उनके अभिभाषक श्री चुन्नी लाल
पुरोहित द्वारा की गई है।

अतः अपीलांत की अपील
जबिये विड्रोवल स्वारिज की जाती है।
पत्रावली केसल शुमार होकर नम्बर
से काम हो।

आदेश स्वयं इजलास सुनाया गया।

(रघुगनलाल गम्वेल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
जालौर (राज.)